फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 259 प्रभात जयपुर, शनिवार 22 अप्रेल , 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

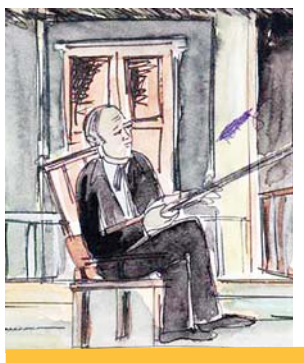

Saga of Olden-day Sahibs

"Kya jalwa tha kal raat ko"! (What an aura there was last night), he would remark. Then would follow a discourse on Sufism.

Celebrate Earth Day

Discovery: The Mysterious Underground City | We live cheek by jowl with undiscovered worlds

राइनो की लुप्त प्रजाति, नॉर्दर्न वाइट राइनो के आखिरी नर, चित्र में नज़र आ रहे ''सूडान'' (45 वर्ष) की 5 साल पहले 19 मार्च 2018 को कीनिया की ओएल पैंजेटा कंज़र्वैन्सी में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ''बायो रैस्क्यू प्रोजैक्ट'' नाम का, वैज्ञानिकों व संरक्षणविदों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आई.वी.एफ. और स्टैम सैल रिसर्च के माध्यम से इस प्रजाति की वापसी करने में लगा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति की आखिरी दो मादाओं, जो अभी भी जीवित हैं, के अंडों और सूडान के फ्रोज़न स्पर्म्स से 24 एम्ब्रीओ (भ्रूण) तैयार किए हैं। सूडान की मौत के बाद यद्यपि नॉर्दर्न वाइट राइनो ''फंक्शनली'' लुप्त हो गए हैं पर संरक्षणविदों को बायो रैस्क्यू से काफी उम्मीदें हैं। सूडान की पांचवी बरसी पर उसकी याद में फोटोग्राफर अमी विटाले ने ''रिमैम्बरिंग सूडान'' नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसे आने वाले फिल्म फैस्टिवल्स में दिखाया जाएगा। इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। विटाले ने कहा, ''अब आगे जो होगा वो सब हमारे हाथ में है। हमारा भविष्य जानवरों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राइनो व अन्य जीवों के बिना, हम इकोसिस्टम के विनाश से भी अधिक, बहुत कुछ खो देंगे। ना केवल अचरज, कल्पना शक्ति व उत्सुकता खत्म हो जाएगी, बल्कि, खूबसूरत संभावनाएं भी लुप्त हो जाएंगी।''

अकारण, रहस्यमय यात्रा पर गहलोत दिल्ली पहुंचे

कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे और महासचिव (संगठन) वेणुगोपाल दोनों दिल्ली में नहीं हैं, अतः दिल्ली यात्रा का प्रयोजन क्या है?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम दिल्ली पहुंचे, जिसे एक रहस्यमयी यात्रा के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ऐसा कोई एजेण्डा या मीटिंग नहीं थी।

उन्होंने जोधपुर हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की, लेकिन उनके उत्तर महंगाई का मुकाबला करने और यह बताने तक ही सीमित रहे कि उनकी सरकार कीमत वृद्धि को रोकने के लिए क्या कर रही है।

उन्होंने सचिन पायलट के संबंध में पूछे गए सभी प्रश्नों को यह कहते हुए टाल दिया कि उनका ध्यान सिर्फ महंगाई की ओर है।

कांग्रेस विधायकों के उनसे और रंधावा से मिलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत विधायक सरकार के साथ हैं और सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं का तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं।

- **जोधपुर हाऊस में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने यह दावा तो पुरजोर ढंग से जरूर किया कि, सौ प्रतिशत पार्टी के विधायक उनके साथ हैं, पर पायलट के बारे में टिप्पणी करने से साफ इन्कार किया।**
- **दूसरी ओर राजस्थान के प्रभारी रंधावा चुपचाप अकेले अपने कमरे में बैठे रहे, उनको शायद यह हिदायत दी गयी है, वे बिल्कुल चुप रहे, विशेषकर मीडिया से कुछ नहीं बोले।**
- **कुछ एजेण्डा नहीं होने की वजह से यह भी चर्चा है कि, शायद गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है। पर, किसने और क्यों बुलाया है, कल ही स्पष्ट होगा।**

अपनी खुद की पीठ थपथपाने के अलावा उन्होंने कुछ नया नहीं कहा।

दूसरी ओर, ए.आई.सी.सी. महासचिव रंधावा ए.आई.सी.सी. ऑफिस आए और अपने कमरे में जाकर अकेले बैठ गए। उन्होंने किसी से भी मिलने या कोई बात करने से इन्कार कर दिया।

सूत्र कहते हैं कि उन्हें कहा गया था कि वह मीडिया या अन्य से कोई बात ना करें।

अशोक गहलोत के दिल्ली आने के प्रयोजन का जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल कर्नाटक में है। इससे यह एक पहेली बन गया है कि आखिर गहलोत दिल्ली क्यों आए हैं।

सूत्र कहते हैं कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन वास्तविक तस्वीर कल तक ही स्पष्ट हो सकेगी।

मजेदार बात यह है कि दिल्ली में अपने परिवार के साथ प्रायः सप्ताहांत बिताने वाले सचिन पायलट जयपुर में हैं और उम्मीद है कि वह कल ईद जयपुर में ही मनाएंगे, जबकि अशोक गहलोत दिल्ली में हैं।

शादी से पहले दुष्कर्म, अब मिली सजा

जयपुर, 21 अप्रैल (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जीवणराम डाबरिया को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई महत्व नहीं रखती है। ज्ञातव्य है कि

- **जिले की पॉक्सो अदालत ने आरोपी जीवणराम डाबरिया को दस साल कैद व 40,000 रू. जुर्माने की सजा सुनाई। उस पर आरोप है कि, उसने अपनी पत्नी के साथ शादी से पहले बलात्कार किया था, तब वह 17 वर्ष की थी।**

पीड़िता और अभियुक्त वर्तमान में साथ रहकर जीवन यापन कर रहे हैं व उनके दो संतान भी हैं, लेकिन अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का अपराध साबित है। ऐसे में उसे दंडित किया जाना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 16 मई 2019 को पीडिता की मां ने दूदू थाने में रिपोर्ट

(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

बस पलटी, 15 सवारी घायल

अनूपगढ़, 21 अप्रेल (कासं)। अनूपगढ़ के ग्राम पंचायत 20 एलएम के पास आज सांगरिया से घड़साना आने वाली एक निजी बस तेज स्पीड की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय 60 से 70 सवारियां बस में सवार थीं। जिसमें से 15 सवारियां घायल हो गई। एक यात्री के गंभीर घायल होने पर उसे हायर सेंटर रैफर कर दिया गया।

- **अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत 20 एम.एल. के पास एक निजी यात्री बस तेज स्पीड के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, बस में 60-70 सवारियां थीं।**

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन खटाई में

अन्नाद्रमुक ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। इन दिनों केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थिति इसके दक्षिण भारत में पड़ाव को लेकर अच्छी नहीं कही जा सकती। तमिलनाडु में उसके गठबंधन पार्टनर अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता इडापड़ी पलानीस्वामी के साथ भाजपा के संबंध बिगड़ते ही जा रहे हैं। पलानीस्वामी ने भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष के. अन्नामलाई को एक अपरिपक्व व्यक्ति बताते हुये, उन्हें खारिज कर दिया है। बात केवल यही तक नहीं रही, अन्नाद्रमुक ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिये बेंगलुरु की पुलकेशिंगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। इस सीट के अन्नाद्रमुक के प्रत्याशी डी. अनबारासन भाजपा प्रत्याशी मुरली का सामना करेंगे। प्रसंगवश बता दें कि तमिलनाडु की यह पार्टी कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में पहले भी जोर आजमा चुकी है तथा बेंगलुरु एवं उसके आसपास के तमिलभाषी इलाकों में अपने प्रत्याशी खड़े करती रही है। लेकिन तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के और भाजपा के बीच गठबंधन होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी के सामने अन्नाद्रमुक द्वारा अपना उम्मीदवार खड़े किये जाने से यह संकेत जरूर मिल रहा है कि दोनों दलों के बीच के मित्रतापूर्ण रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं।

- **अन्नाद्रमुक काफी समय से यह महसूस कर रही थी कि, भाजपा से गठबंधन करने की उसे चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।**
- **रही सही कसर तमिलनाडू में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने पूरी कर दी, यह जताकर कि, तमिलनाडू में भाजपा मुख्य विपक्ष है, क्योंकि, अन्नाद्रमुक अपने आपसी झगड़ों में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है।**

जब अन्नाद्रमुक ने 2019 में लोकसभा आम चुनावों के लिये भाजपा से गठजोड़ किया था, उसके बाद के प्रत्येक चुनाव मे यह द्रविड़ पार्टी सभी चुनाव हारी है। अन्नाद्रमुक के नेता निजी तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठजोड़ का खामियाजा भुगत रही है क्योंकि इसे हिन्दी-क्षेत्र की ऐसी पार्टी माना जाता है जिसके तमिलनाडु विरोधी हित सामने आते रहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु भाजपा इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई तो यह कहने की हद तक चले गये थे कि वे बिना किसी मदद के अकेले ही पार्टी को खड़ा करेंगे, जिसके फलस्वरूप, तमिलनाडु में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें तथा उनकी बात को खारिज कर दिया था। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय से ऐसा संकेत मिला था कि भाजपा अन्नाद्रमुक के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगी क्योंकि उसे 2024 के लोकसभा आम चुनावों के लिये इस गठबंधन की जरूरत है। भाजपा नेता तथा महिला

(शेष पृष्ठ 5 पर)

रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने

हरियाणा की भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि, रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डी. एल.एफ. को 3.5 एकड़ भूमि के बेचान में किसी कानून/कायदे का उल्लंघन नहीं किया गया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रेल। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली एवं भाजपा-जननायक जनता पार्टी (जे.पी.पी.) की साझा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि रॉबर्ट वाड्रा की मैसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड को किए गए भूमि हस्तांतरण में ''नियम-कायदों'' का कोई भी उल्लंघन नहीं पाया गया है। ''इससे आर.एस.एस.-भाजपा की ये चालबायिजां उजागर हो गई हैं कि वे राजनीतिक मुद्दों को जीतने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बदनाम कर उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं।''

- **इस भूमि का बेचान 11 साल पहले हुआ था तथा उसके बाद हर चुनाव में भाजपा इस बेचान को भारी घोटाला बताकर भुनाती रही है।**

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मैसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी और रीयल एस्टेट के दिग्गज डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड के बीच 11 वर्ष पूर्व हुए इस कथित संदेहास्पद जमीन सौदे से उपजे विवाद ने वर्ष 2014 में भाजपा को हरियाणा में एक चुनावी इतिहास रचने में मदद की थी।

भाजपा ने आई.ए.एस. अधिकारी अशोक खेमका द्वारा अक्टूबर 2012 में रद्द किए गए जमीन के सौदे को एक राजनीतिक हथियार बनाया और विधानसभा चुनावों से पूर्व ''दामाद श्री'' नाम से एक छह पृष्ठों की पुस्तिका जारी की, जिसमें राजस्थान और हरियाणा में वाड्रा के कथित भूमि सौदों का जिक्र था।

भाजपा ने करीब आठ मिनट लम्बी एक चुनाव प्रचार फिल्म भी जारी की थी, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस जब राज्य और केन्द्र, दोनों जगह सत्ता में थी तब गांधी परिवार ने इन सौदों में वाड्रा की मदद की। वर्ष 2014 में हरियाणा में भाजपा पहली बार सत्ता में आई। उसने कुल 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें जीती थीं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अडानी-गहलोत ''मित्रता'' उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है

उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है 2700 करोड़ रू. का ''स्पेशल फ्यूल सरचार्ज''

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 21 अप्रेल। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में अग्रवाल वोवन पॉलिमर्स ने वाणिज्यिक उपयोग के लिये उपयोग की जा रही बिजली पर डिस्कॉम द्वारा ''स्पेशल सरचार्ज'' लगाये जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले में याचिकाकर्ता कंपनी के एक मालिक कैलाश अग्रवाल ने अजमेर विद्युत वितरण निगम, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ ''अनुचित और गैर कानूनी'' तरीके से ''स्पेशल सरचार्ज'' (अतिरिक्त शुल्क) जाने पर केस दर्ज किया है। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अजमेर डिस्कॉम तथा नियामक आयोग के अधिकारियों से जवाब तलब किया और कहा कि अगली सुनवाई पर वह ''स्पेशल सरचार्ज'' पर अंतरिम रोक लगाने पर फैसला सुनाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रेल को तय की गई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसके तहत अजमेर डिस्कॉम को अडानी को 2288.40 करोड़ रुपये, साथ ही 420.90 करोड़ रुपये ब्याज (यानी कुल 2709.36 करोड़ रुपये) ''फ्यूल सरचार्ज'' के नाम पर देना था क्योंकि अडानी को कोल इंडिया से कोल ब्लॉक्स का आवंटन नहीं हुआ था और फलस्वरूप देश के बाहर से कोयला खरीद कर लाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की डिस्कॉम्स को सरचार्ज चुकाने के लिए समय दिया गया था। दस्तावेजों के अनुसार राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कहना है, 24, 25 मार्च 2022 तक 5996 करोड रुपये अदा कर चुकी है।

उल्लेखनीय है कि अडानी ग्रुप के साथ वर्ष 2007 में प्रदेश में दो थर्मल पावर प्लांट बनाकर एक तय दर पर बिजली डिस्कॉम्स को बेचने का अनुबंधन किया गया था। फिर 2013 में गहलोत सरकार के कार्यकाल में अडानी ने अनुबंधन में फेरबदल करवाया कि किसी भी कानून में परिवर्तन के कारण अगर वह उपयुक्त दाम पर कोयला नहीं खरीद पाई तो वह सरकार से ''फ्यूल सरचार्ज'' वसूल सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 तक अडानी को कोल इंडिया से कोयले के ब्लॉक्स आवंटित नहीं हुए थे जिस वजह से उसे देश के बाहर से कोयला आयात करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि अडानी के समक्ष कोयला आयात करने की स्थिति उत्पन्न हुई थी वह कानून में बदलाव के कारण हुई थी और इस कारण उन्हें राज्य की डिस्कॉम्स से फ्यूल सरचार्ज मिलना चाहिये। राज्य की डिस्कॉम्स कोल इंडिया को बाहर से कोयला आयात करने के लिये पहले से ही फ्यूल सरचार्ज दे रही थी।

- **अडानी ग्रुप को गहलोत सरकार ने अपने इससे पहले वाले कार्यकाल में ''फ्यूल चार्ज'' देने का निर्णय लिया, जबकि, अडानी एवं राजस्थान सरकार के बीच दो पावर प्लान्ट लगाने के अनुबंधन में अडानी ग्रुप को ''फिक्स रेट'' पर बिजली सप्लाई करने की बात हुई थी ''फ्यूल सरचार्ज'' की कोई बात ही नहीं थी**
- **गहलोत सरकार ने अपने तत्कालीन कार्यकाल के अंत में (2013) अनुबंधन से फिक्स रेट की शर्त हटा दी तो फिर अडानी ने अनुबंधन में आए बदलाव के चार साल बाद फ्यूल सरचार्ज की मांग के लिए 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया और 2018 में उन्हें अपने पक्ष में ऑर्डर भी मिल गया।**
- **मजे की बात यह भी है कि, अडानी को पैसा चुकाने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं पर पांच पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज लगाया, जिसे गहलोत के वर्तमान कार्यकाल में बढ़ाकर 7 पैसा प्रति यूनिट कर दिया गया।**

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अडानी राज्य सरकार की डिस्कॉम्स से ''फ्यूल सरचार्ज'' की मांग रखने वर्ष 2017-18 में गये थे, यानी कानून में बदलाव आने के पूरे चार वर्ष बाद। इसीलिये सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 2018 में यह राहत मिली थी। वे राज्य की डिस्कॉम्स से वर्ष 2013 में ही ''फ्यूल सरचार्ज'' की मांग को लेकर अदालत क्यों नहीं पहुंचे, इसका कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने किसी भी अदालत के समक्ष नहीं दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने गैर कानूनी और मनमाने तरीके से 13 जून 2019 को अजमेर डिस्कॉम को उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी कि अडानी को 2700 करोड़ रुपये देने के लिये यह रकम डिस्कॉम उद्योगों पर ''स्पेशल सरचार्ज'' लगाकर वसूल सकती है। आयोग द्वारा अडानी को भुगतान देने की गणना के अनुसार 36 किस्तों में 1.81 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर पर ''फ्यूल सरचार्ज'' वसूला जायेगा, अर्थात 0.05 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं से लिया जायेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार 5 पैसे का यह शुल्क सुनने में बहुत कम है परंतु याचिकाकर्ता इस अतिरिक्त शुल्क के अन्तर्गत

(शेष पृष्ठ 5 पर)

जिंदा बम मामले में आरोपी की जमानत खारिज

जयपुर, 21 अप्रैल (का.सं.)। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने शहर में वर्ष 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि जयपुर में बम ब्लास्ट होने के संबंध में अभियुक्त अहमद सिद्दी

- **जयपुर बम बलास्ट मामलों की विशेष अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि, आरोपी पर जिन धाराओं में आरोप दर्ज हैं उनमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, अगर उसे जमानत दे दी गई तो वह फरार हो सकता है।**

(शेष पृष्ठ 5 पर)